छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक :803/वित्त/ब–4/चार/2013 नया, रायपुर दिनांक : 05/08/2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषय :– M/s Global Network Solutions, रायपुर से सभी शासकीय क्रय प्रतिबंधित करने बाबत्।

लॉर्ज फारमेट डिस्प्ले – 32 इंच टी.एफ.टी. मॉनीटर के क्रय के संबंध में M/s Global Network Solutions, रायपुर ने मूल निर्माता कंपनी Hewlett Packard द्वारा दिए गए authorisation letter का दुरूपयोग कर मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, रायपुर से क्रय आदेश प्राप्त किया तथा सामग्री सप्लाई करने के समय क्रय आदेश की शर्तों का उल्लंघन कर उसी दर पर अन्य एक कंपनी सेमसंग की कम मूल्य वाली सामग्री प्रदाय की, जिसके फलस्वरूप राज्य शासन को आर्थिक हानि हुई।

2. उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी, M/s Global Network Solutions, रायपुर से शासन के समस्त विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, कंपनी/निगम/मंडल/आयोग/संघ तथा राज्य शासन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य संस्थाओं द्वारा समस्त क्रय प्रतिबंधित किया जाता है।

3. यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

05/8/13
(सी.जे. खत्री)
संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग

पृ.क्र 804 / वित्त / ब–4 / चार / 2013 दिनांक : 05 / 08 / 2013

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्रीगण, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
14. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
17. समस्त वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला / सिटी कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़। कृपया अपने अधीनस्थ समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को इस अनुदेश की प्रति परिचालित करते हुए तद्नुसार पालन सुनिश्चित करावें।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

5/8/13

संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग